न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–14, बुलन्दशहर।
विशेष वाद संख्या–1210 सन् 2017

सरकार————————बनाम—————————हरवीर सिंह

धारा–138बी विद्युत अधिनियम।
थाना–कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर।

01.07.2026

पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित थाना अरनिया से अभियुक्त हरवीर सिंह पुत्र ठकुरी सिंह की मृत्यु आख्या प्रस्तुत की गयी। कां0 राजकुमार पैरोकार थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा बतौर सी0डब्लू01 न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दिया है कि उक्त वाद में अभियुक्त हरवीर सिंह की मृत्यु आख्या तलब की गयी थी, जिसकी तामील है0 कां0 पदम सिंह द्वारा की गयी। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। साक्षी सी0डब्लू01 ने थाने से प्राप्त मृत्यु आख्या को प्रदर्श 1 व मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति को प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया है। मृत्यु के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान की तहरीर की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की गयी है। वह थाने की आख्या को तस्दीक करता है। साक्षी ने थाने की आख्या को प्रदर्श क–1 व मृत्यु प्रमाणपत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अभियुक्त हरवीर सिंह की दिनांक 11.07.2025 को मृत्यु होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध वाद की कार्यवाही आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः **अभियुक्त हरवीर सिंह पुत्र ठकुरी सिंह, निवासी अब्दुल्ला वाली गली, थाना कोतवाली शहर के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित (Abate) की जाती है।** यदि अभियुक्त पर कोई धनराशि बकाया है तो उसके सम्बन्ध में विद्युत विभाग कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

पत्रावली नियामानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(चन्द्र विजय श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–14, बुलन्दशहर।
J.O Code .UP 6277

सुन्दर सिंह–स्टैनो।

Digitally signed by CHANDRA VIJAY SRINET
Date: 2026.07.02 02:28:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court